कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19509/2017/ 633 दिनांक : 09.02.2018

एसआईक्यूई आधारित प्रशिक्षणों हेतु दिशा–निर्देश

राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों की पालना में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत) को एसआईक्यूई आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा आयोजित किये जा रहे है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों की शिक्षण क्षमता में संवर्धन के साथ उनके द्वारा प्रभावी अध्यापन एवं प्रारम्भिक शिक्षा की नींव को मजबूत आधार प्रदान करते हुए शिक्षकों हेतु लाभकारी है। इस प्रक्रिया में एसआईईआरटी, उदयपुर में प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक से 5 के.आर.पी. प्रति विषय अर्थात् 302 ब्लॉक हेतु 6040 के.आर.पी. तैयार किये जाएगे जो द्वितीय चरण में अपने ब्लॉक/जिले में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगें।

एसआईईआरटी, उदयपुर के पत्रांक राराशैअप्रस–उदय /वि–4/प्र–2/फा. 3693/2018 दिनांक 06.02.2018 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि प्रथम चरण के केआरपी प्रशिक्षण में आमंत्रित संभागियों की उपस्थिति 45.64 प्रतिशत रही है जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

राज्य सरकार के पत्रांक प.7(10) प्राशि/आयो./2017 जयपुर दिनांक 26.10. 2017 के द्वारा भी समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर यह पाबंद किया गया है कि एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा आमंत्रित शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनिवार्यत यथा समय कार्यमुक्त किया जावें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित निर्देश प्रसारित किए जाते है–

- राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा के.आर.पी. प्रशिक्षण हेतु जारी आदेशों की अधीनस्थ कार्यालय (यथा उपनिदेशक (मा./प्रा.शि) / जिला शिक्षा अधिकारी (मा./प्रा.शि) / ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्थाप्रधान) द्वारा अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर के.आर.पी. शिक्षकों को यथा समय कार्यमुक्त करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजेगें। साथ ही संबंधित अधिकारी आमंत्रित के.आर.पी. के कार्यमुक्ति आदेशों में यह आवश्यक रूप से अंकन करें कि एसआईईआरटी से के.आर.पी. प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आलोच्य माह का वेतन आहरित किया जावेगा।
- निदेशक एसआईईआरटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि यदि उपरोक्त अधिकारियों द्वारा के.आर.पी. को कार्यमुक्त कर यथा समय नहीं भेजा जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी जि.शि.अ./बी.ई.ई.ओ./पी.ई.ई.ओ./संस्थाप्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के विस्तृत प्रस्ताव यथा आरोप पत्र, विवरण पत्र, प्रपत्र अ, ब, स व द, राजस्थान असैनिक सेवाएं नियम 1958 के तहत आवश्यक अभिलेख आदि तैयार कर सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जावे। अन्यथा एसआईईआरटी इस हेतु स्वयं उत्तरदायी होगी।

जिला/ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले आगामी एसआईक्यूई के समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु के.आर.पी. एवं शिक्षकों को कार्यमुक्त करने में भी उपरोक्त प्रक्रिया की निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित की जानी है। जिससे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्बाध संचालित

हो सके। के.आर.पी. प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 01.05.2018 को एसआईईआरटी निम्न प्रारूप में सूचना निदेशालय को प्रेषित करें।

क्र. सं.	जिले का नाम	जिले से आमंत्रित केआरपी की संख्या	उपस्थित केआरपी की संख्या	अनुपस्थित केआरपी की संख्या	अनुपस्थिति का कारण

उपरोक्त सूचना में जिन जिला शिक्षा अधिकारियों (मा./प्रा.शिक्षा) के द्वारा लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति नहीं की जाती है तो एसआईईआरटी का यह उत्तरदायित्व है कि वह उन अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के विस्तृत प्रस्ताव भी प्रेषित करें। जिला/ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा प्रति दिवस सतत प्रबोधन किया जावें।

(नथमल डिडेल) IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(पूर्ण चन्द्र किशन) IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19509/2017/634 दिनांक : 09-2-18

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. सरकार, जयपुर
2. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक प.7(10) प्राशि./आयो./2017 जयपुर दिनांक 26.10.2017 की पालना में।
3. निदेशक एसआईईआरटी, उदयपुर को उनके पत्रांक राराशैअप्रस–उदय/वि.4/प्र–2/फा. 3693/2018 दिनांक 06.02.2018 की पालना में प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें तथा इस पत्र के अनुसार जिन केआरपी ने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है उन्हें एक अवसर ओर प्रदान करते हुए आदेश जारी करावें तथा अनुपस्थित रहने वाले के.आर.पी. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों की संबंधित उपनिदेशक/जि.शि.अ./बी.ई.ई.ओ./पी.ई.ई.ओ. से कार्यवाही करावें।
4. नोडल प्रभारी, एसआईक्यूई निदेशालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राज., बीकानेर।
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिलों में पालना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) को भेजकर पाबंद किया जाता है कि इन निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ बीईईओ/पीईईओ को अवगत करावें।
7. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अधीनस्थ समस्त संस्थाप्रधान को अवगत कराते हुए पालना करवाए।
8. सम्पादक शिविरा पत्रिका को 7 प्रतियों में भेजकर लेख है कि शिविरा पत्रिका के आगामी अंक में आदेश प्रकाशित करावें।
9. कम्प्यूटर अनुभाग (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा) को भेजकर लेख है कि आदेश वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर